



मुख्यालय,  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
आई.एस.ओ.9001-2008, पंचदीप भवन,  
सी0आई0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110002

संख्या: सी-11/25/16/2014-सत.

दिनांक : /07/2014

सेवा मे,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक /निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रभारी),  
क्षेत्रीय कार्यालय /उप क्षेत्रीय कार्यालय
2. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली /नोएडा
3. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. अस्पताल/मॉडल अस्पताल
4. सभी जोनल सतर्कता अधिकारी

विषय:- मन्त्रालयों/विभागों में शिकायतों के निस्तारण हेतू दिशा -निर्देश।


महोदय,

मुझे, आपको केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 02/05/2014 दिनांक 19/05/2014 की प्रति, परिपत्र में दिए गये निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

यह पत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी से अनुमोदित है।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

  
(अनुराग कुमार)  
सहायक निदेशक (सतर्कता)

प्रतिलिपि:

1. व्यक्तिक सचिव-महानिदेशक/वित्त आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त/बीमा आयुक्त को सूचनार्थ।
2. गार्ड फाईल/निर्देश/अनुदेश फाईल
3. वेबसाईट कन्टेन्ट मैनेजर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलौड करने हेतू।

वेबसाईट की विषय-सूची का प्रबन्धन.....  
Website Contents Management.....  
डायरी सं./Diary No. 557.....  
दिनांक/Date 30/07/14.....

Telegraphic Address :  
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address  
cenvigil@nic.in

Website  
www.cvc.nic.in

EPABX  
24600200

फैक्स / Fax : 24651186

*2/7*  
*The content of this letter  
be uploaded in our  
website for all DA's  
to take note and follow. P. comply.*  
*2/7/2014*



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग  
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,  
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023  
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,  
Block A, INA, New Delhi 110023

सं./No..... 003/DSP/3  
दिनांक / Dated..... 19<sup>th</sup> May, 2014

Circular No. 02/05/2014

**Subject: Need for self-contained speaking and reasoned order to be issued by the authorities exercising disciplinary powers.**

Attention is invited to the Commission's office order No. 51/9/03 dated 15.09.2003, officer order No. 14/2/04 dated 26.02.2004 and circular No. 02/01/09 dated 15.01.2009, wherein it was clarified that Disciplinary Authorities (DAs) should issue a self-contained, speaking and reasoned order which must indicate, inter-alia, due application of mind by the authority issuing the order.

2. The Commission has observed that inspite of the above said instructions, the orders issued in disciplinary matters by the Disciplinary Authorities concerned are sometimes not in the form of a speaking and reasoned order indicating due application of mind. The Commission would, therefore, again advice all administrative authorities to ensure that officials exercising disciplinary powers conferred under the applicable statutory rules/CDA Rules etc. governing the public servants concerned in the CPSUs/PSBs/Ministries/ Departments/Organizations to issue the orders which are self-contained, speaking and reasoned indicating due application of mind by them especially when they differ with the advice/recommendations of CVO or Inquiry Officer or the Commission as the case may be giving cogent reasons thereof.

3. Instances have also come to the notice of the Commission wherein the orders passed by Disciplinary Authorities only indicate their designation in the organization and the name of the officer is not indicated in the orders issued. Commission would, therefore, advice that in all such orders issued in disciplinary matters, the name and designation should also be clearly indicated.

4. Heads of Departments/Organizations and CVOs should ensure that all the Disciplinary Authorities in their organization(s) strictly follow the above guidelines of the Commission in future.

*Shv.p*  
*3*  
*10/7*



*Vinod Kumar*  
(J. Vinod Kumar)  
Officer on Special Duty

All Secretaries in Ministries/Departments to the Government of India  
All CMDs of CPSUs/PSBs/Insurance Companies/Autoriomous Organisations  
All Chief Vigilance Officers





संख्या-003/डी.एस.पी/3  
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,  
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,  
आई.एन.ए., नई दिल्ली  
दिनांक : 19 मई, 2014

परिपत्र सं० 02/05/2014

**विषय : अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों द्वारा स्वतःपूर्ण, स्पष्ट एवं तर्कसंगत आदेश जारी करने की आवश्यकता ।**

आयोग के दिनांक 15.09.2003 के कार्यालय आदेश सं० 51/9/03, दिनांक 26.02.2004 के कार्यालय आदेश सं० 14/2/04 तथा दिनांक 15.01.2009 के परिपत्र सं० 02.01.09 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अनुशासनिक प्राधिकारी एक स्वतःपूर्ण, स्पष्ट तथा तर्कसंगत आदेश जारी करें जिससे अन्य बातों के साथ यह अवश्य प्रतीत हो कि आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विवेक का उचित प्रयोग किया गया है ।

2. आयोग ने प्रेक्षित किया है कि उपर्युक्त अनुदेशों के बावजूद, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अनुशासनिक मामलों में जारी किए गए आदेश कई बार स्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं होते तथा विवेक के उचित प्रयोग के सूचक नहीं होते हैं । अतः, आयोग सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की पुनः सलाह देता है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के संबंधित लोक सेवकों पर लागू होने वाले प्रयोज्य वैधानिक नियमों/सीडीए नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी स्वतःपूर्ण, स्पष्ट तथा तर्कसंगत आदेश जारी करें जो उनके विवेक के उचित प्रयोग के सूचक हों, विशेषकर तब जब वे मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा जांच अधिकारी अथवा आयोग की सलाह/सिफरिशों से सहमत ना हों तथा वे इसके लिए निश्चयात्मक कारण दें ।

3. आयोग के ध्यान में ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पास किए गए आदेशों में केवल संगठन में उनके पदनाम का उल्लेख किया गया है तथा जरी-आदेशों में अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है । अतः, आयोग सलाह देता है कि अनुशासनिक मामलों में जारी ऐसे सभी आदेशों में नाम तथा पदनाम का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए ।

4. विभागों /संगठनों के अध्यक्ष तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके संगठनों में सभी अनुशासनिक प्राधिकारी आयोग के उपर्युक्त दिशानिर्देशों का भविष्य में सख्ती से पालन करें ।

हस्ता०/-  
(जे. विनोद कुमार)  
विशेष कार्य अधिकारी

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिव

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी